स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 167, दिनांकः 06—06—2024

पटना बिहार के जनपद बेगूसराय, आदि क्षेत्रों में हत्या, डकैती/लूट, रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाला कुख्यात अपराधी एवं कई अभियोगों में वांछित रूपया 2,00,000/— (रू0 दो लाख) का पुरस्कार घोषित अपराधी निलेश कुमार की एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेड में मृत्यु ।

दिनांकः 05—06—2024 की रात्रि मे, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 के थाना रतनपुरी क्षेत्र में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं एसटीएफ बिहार एवं थाना रतनपुरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान हुई एक साहसिक मुठभेड़ के पटना बिहार के जनपद बेगूसराय आदि क्षेत्रों में हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी की कई घटनाओं में वांछित एंव रू0 2,00,000/— (रू0 दो लाख रूपये) का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी निलेश कुमार घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

<u>अभियुक्त का विवरणः—</u>

निलेश कुमार पुत्र गोपाल राय उर्फ गोपाल सिंह निवासी बारो, रामपुर टोला, थाना गढ़हरा, जनपद बेगूसराय, बिहार।

<u>अभियुक्त से बरामदगीः</u>

1— 01 अदद पिस्टल 9 एमएम मय मैगजीन
2— 01 अदद पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन
3— 01 अदद तमंचा 315 बोर
4— 11 अदद कारतूस 9 एमएम जिन्दा
5— 08 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
6— 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
7— 02 अदद खोखा कारतूस .32 बोर
8— 08 अदद खोखा कारतूस 9एमएम
9— 01 अदद मोटर साईकिल (स्पेलेन्डर) बिना नम्बर प्लेट की ।

<u>घटनास्थल का दिनांक समय/ स्थानः—</u>

दिनांक 05—6—2024 समय लगभग 22.15 बजे, बुढाना, खतौली मार्ग से जंगल ग्राम इंचौडा की तरफ जाने वाले मार्ग के पास, थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि पटना बिहार की एस0टी0एफ0 के द्वारा अवगत कराया गया कि बिहार राज्य का रू0 2,00,000/— (रू0 दो लाख) का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी निलेश कुमार पुत्र गोपाल राय उर्फ गोपाल सिंह निवासी बारो रामपुर टोला, थाना गडहरा, जनपद बेगूसराय बिहार, अपने गैंग के साथ दिल्ली—एनसीआर क्षेत्र में छिपा हुआ है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने गैंग के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इस अपराधी द्वारा बिहार राज्य में हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके विरूद्ध संगीन धाराओं में दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। उपरोक्त कुख्यात/फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी में बिहार की एस0टी0एफ0 को सहयोग देने हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ नोएडा के

नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम दिनांक 05–06–2024 को बिहार एस0टी0एफ0 की टीम के साथ दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में पतारसी, सुरागरसी में भ्रमणशील थी तो उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त गैंग जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली–रतनपुरी क्षेत्र में किसी संगीन घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त स्थानीय पुलिस को अवगत कराया गया। तत्पश्चात एस0टी0एफ0 नोएडा एवं एस0टी0एफ0 बिहार की टीम मय थाना रतनपुरी की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए थाना रतनपुरी की चौकी कल्याण पुर के सामने बुढाना से खतौली जाने वाले मार्ग पर वैरियर लगाकर चौकिंग प्रारम्भ की गयी। एक मोटर साईकिल पर तीन व्यक्ति बुढ़ाना की तरफ से आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोकने की कोशिश की गयी तो मोटर साइकिल सवारों ने तेजी से मोटर साइकिल बढाते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करने पर बदमाशों की मोटर साईकिल मोड़ पर फिसलकर गिर गयी तथा बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में बिहार एस0टी0एफ0 के सर्वेश कुमार (जे0सी0) एवं एस0टी0एफ0 नोएडा के हैड कान्स0 रोहित घायल हुए। तदोपरान्त पुलिस पार्टी द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी तथा बाकी बदमाश फायरिंग करते हुए व अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गये। घायल बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु सी0एच0सी0, बुढाना ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी तथा घायल पुलिस कर्मियों को भी प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुढ़ाना रवाना किया गया। मृतक बदमाश की शिनाख्त निलेश कुमार पुत्र गोपाल राय उर्फ गोपाल सिंह निवासी बारो, रामपुर टोला थाना गढ़हरा, जनपद बेगूसराय, बिहार के रूप में हुई। मौके से भागे बदमाशों की तलाश जारी है।

मृतक बदमाश निलेश कुमार की आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि यह बदमाश प्रारम्भ से मनबढ व अपराधिक प्रवृत्ति का था और वर्ष 2004 से ही अपने गैंग के साथ आपराधिक घटनाओं को कारित करने में संलिप्त हो गया था। उसके द्वारा बरौनी जनपद बेगूसराय, फूलवरिया बिहार एवं झारखण्ड राज्य में हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी जैसी कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दिया गया। मृतक बदमाश निलेश कुमार द्वारा की गयी घटनाओं में निम्न घटनाऐं प्रमुख रूप से हैं–

1– दिनांक 15–02–2024 को बारो रामपुर टोला, जनपद गडहरा, बिहार निवासी प्रमानन्द राय से अपने गैंग के 7–8 साथियों के साथ पॉच लाख रूपये की रंगदारी की मांग की गयी थी। परन्तु न देने पर प्रमानन्द को बन्धक बनाकर और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बरौली, गढहारा बेगूसराय में मु0अ0स0 66/24 धारा 341/323/385/504/506 भादवि का पंजीकृत किया गया, जिसमें यह फरार चल रहा था।

2– दिनांक 20–02–2024 को जब एस0टी0एफ0 बिहार एवं थाना फूलवरिया पुलिस की टीम द्वारा बारो रामपुर टोला, गडहरा में उसे पकडने गयी थी तो उसने अपने गैंग के साथ पुलिस पार्टी पर अंधाधुन्ध फायरिंग की गयी, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया था तथा घेराबंदी तोड़ते हुए मृतक बदमाश निलेश कुमार भाग गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बरौली, गढ़हरा बेगूसराय में मु0अ0सं0 70/24 धारा 147/148/149/307/323/332/353 भादवि एवं 25(1–बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 71/24 धारा 307/34 भादवि का पंजीकृत किया गया, जिसमें यह फरार चल रहा था।

3– वर्ष 2014 में थाना गढ़हरा, जनपद बेगूसराय में प्रमोद सिंह निवासी कीलगढहारा, थाना गडहरा की रंजीशन हत्या कर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना बरौली गढ़हरा में मु0अ0सं0 326/2014 धारा 147/148/149/307/341/324/302 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था।

4– वर्ष 2015 में फूलवरिया क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर कन्हैया सिंह निवासी मधूरापुर पुवारी, थाना तेघड़ा, जनपद बेगूसराय की हत्या इसके द्वारा की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना फुलवरिया, जनपद बेगूसराय, बिहार में मु0अ0सं0 133/2015 धारा 302/120बी/34 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था।

5– वर्ष 2016 में थाना तेघडा क्षेत्र में कन्हैया सिंह उक्त की पत्नी श्रीमती रूबि देवी की हत्या प्रापर्टी के कब्जे के विवाद को लेकर कर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना तेघड़ा, जनपद बेगूसराय में मु0अ0सं0 171/2016 धारा 302/120बी/34 भादवि पंजीकृत हुआ था।

6– वर्ष 2016 में ही थाना फुलवरिया में शराब व्यवसायी अरविन्द मिश्र की डकैती के साथ हत्या व्यवसायिक प्रतिद्वन्दिता के चलते कर दी थी और लगभग 17 लाख रूपये लूट लिये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना फुलवरिया में मु0अ0सं0 94/2016 धारा 396/412 भादवि पंजीकृत हुआ।

7– वर्ष 2019 में फूलवडिया क्षेत्र में लल्लू सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की घटना को अंजाम दिया था क्योंकि लल्लू सिंह के परिजनों के द्वारा नीलेश राय व उसके गैंग के सदस्यों के विरूद्ध थाना फुलवरिया में मु0अ0सं0 160/2015 पंजीकृत कराया था, जिसमें जेल में बन्द नीलेश के द्वारा मुकदमें में समझौता करने हेतु लल्लू सिंह पर दबाव बनाया जा रहा था। लल्लू सिंह के न मानने पर नीलेश राय ने उसकी हत्या करवा दी, जिसके सम्बन्ध में थाना फूलवरिया, जनपद बेगूसराय पर मु0अ0सं0 145/2019 धारा 302/120बी/34 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत हुआ था।

मृतक बदमाश निलेश कुमार, थाना बरौली, गडहरा, बेगूसराय मु0अ0सं0 70/24 धारा 147/148/149/307/323/332/353 भादवि एवं 25(1–बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 71/24 धारा 307/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 66/24 धारा 341/323/385/504/506 भादवि के अभियोगों में फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, बिहार पटना के स्तर से रूपया 2,00,000/– (दो लाख) का पुरस्कार घोषित किया गया था। मृतक बदमाश निलेश कुमार की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

मृतक अभियुक्त निलेश कुमार, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है:–

क्र0 स0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	54/04	137/411 भादवि	सोनापुर रेल	बेगूसराय
2	8/06	379/411/34 भादवि	बरौली रेल	बेगूसराय
3	6/07	379/34 भादवि	जसीडीह (झारखण्ड)	
4	50/07	341/04/447/307 भादवि एवं 2 आर्म्स एक्ट	फुलवरिया	बेगूसराय
5	72/08	147/148/149/323/307 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	फुलवरिया	बेगूसराय
6	78/09	2(1–बी) एवं 26 आर्म्स एक्ट	फुलवरिया	बेगूसराय
7	31/12	404/414/34 भादवि	बरौली रेल	बेगूसराय

8	326 / 14	147 / 148 / 149 / 307 / 341 / 324 / 302 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं	बरौनी (गडहरा)	बेगूसराय
9	133 / 15	302 / 120बी / 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	फुलवरिया	बेगूसराय
10	160 / 15	302 / 120बी / 34 भादवि	फुलवरिया	बेगूसराय
11	94 / 16	396 / 412 भादवि	फुलवरिया	बेगूसराय
12	171 / 16	302 / 120बी / 34 भादवि	तेघडा	बेगूसराय
13	266 / 16	188 / 45(i)(ii) प्रिजनर एक्ट	नगर	बेगूसराय
14	145 / 19	302 / 120बी / 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	फुलवरिया	बेगूसराय
15	66 / 24	341 / 323 / 385 / 504 / 506 भादवि	बरौनी (गडहरा)	बेगूसराय
16	70 / 24	147 / 148 / 149 / 307 / 323 / 332 / 353 / भादवि एवं 2(1–बी)ए / 26 / 27 / 35 आर्म्स एक्ट	बरौनी (गडहरा)	बेगूसराय बिहार
17	71 / 24	307 / 34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	बरौनी (गडहरा)	बेगूसराय बिहार

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना रतनपुरी, जनपद मुजफ्फरनगर पर मु0अ0स0 76 / 34 धारा 307 / 414 भादवि एवं 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———

स्पेशल टास्क फोर्स
उत्तर प्रदेश पुलिस
साहस प्रतिबद्धता उत्कृष्टता